न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 112/2019

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
ओमप्रकाश पुत्र हुकमाराम जाति विश्नोई निवासी रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री मन्सुर अली छीपा

निर्णय

दिनांक : 16.01.2020

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के खातेदार के खेत खसरा नम्बर 212 रकबा 4.8378 हेक्टर व खसरा नम्बर 212/2 रकबा 0.1537 हेक्टर मौजा रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है जिस पर मेरा कब्जा काश्त चला आ रहा है हाल ही में दिनांक 31.07.2019 को तहसीलदार पीपाड़ शहर ने खसरा नम्बर 202 गैर मुमकीन रास्ते पर अतिक्रमण हटवाकर उक्त रास्ते की भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई है कि फर्द मौका रिपोर्ट साथ संलग्न है । जिसमें मेरे खसरे के आस पड़ोस की सीमा को जेसीबी से खुर्द बुर्द कर दिया जिससे दोनो खसरो का जमाबंदी अनुसार व राजस्व नक्शे अनुसार सीमाज्ञान /पत्थरगढी करवाना आवश्यक है क्योकि मेरे इन दोनो खसरो की सीमा का पता नही चलता की मेरे खसरे की सीमा कहॉ तक है । उपरोक्त लिखित दोनो खसरे मेरे पैतृक खसरे है जिसमें में से खसरा नम्बर 212/1 गै.मु.सड़क है जो मेरे खसरा नम्बर 212 व 212/2 के मध्य से निकलती है जो वर्तमान में डामर सड़क के रूप में ग्राम रामड़ावास कलां से ग्राम कुड़ के लिए जाती है जो मेरे खसरा नम्बर मूल 212 में से होकर गुजरती है इस कारण मेरे खसरे को दो भागो में बॉट दिया गया है जिससे नये बनते गये भाग को खसरा नम्बर 212/2 रखा गया व खसरा नम्बर 212/1 रास्ते का रखा गया इस कारण मेरे दोनो खसरो का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी मौजुदा राजस्व रेकर्ड व रेवेन्यु नक्शे अनुसार करवाया जावे ताकि अन्य खसरो के खातेदार मुझ प्रार्थी के बीच में अपने अपने खसरे को लेकर सीमांज्ञान का विवाद न हो व मेरे भी दोनो खसरो की सीमा को लेकर अन्य खातेदार आए दिन अनावश्यक अपना अपना हक कब्जा बताकर लड़ाई झगड़ा करते रहते है इस कारण मेरे इन दोनो खसरो का रेवेन्यु टीम गठित करवाकर मेरे खसरो का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाया जावें । अन्त प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे खेत खसरा नम्बर 212, 212/2 का राजस्व नक्शा व जमाबन्दी अनुसार माप व सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाने का सादर आदेश फरमावें ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त हुआ है । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के मद सं. 1 में ग्राम रामड़ावास कलां के खसरा नम्बर 212 व 212/2 की भूमि ग्राम रामड़ावास कलां के राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदारी भूमि है । खसरा नम्बर 212/1 किस्म गै.मु.सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज है । प्रार्थी ओमप्रकाश खसरा नम्बर 212, 212/1, 212/2 के सीमाकंन व पत्थरगढ़ी करवाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए कहा कि मेरे खेत खसरा नम्बर 212, 212/2 का राजस्व नक्शा व जमाबन्दी अनुसार माप व सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाने का सादर आदेश फरमाने का निवेदन किया है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सालवा खुर्द के खसरा नम्बर 212, 212/2 का टीम गठित कर नाप चौप व सीमाकंन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करावे । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकोष में जमा करायेगे, बाद पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 16.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner